

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी. एक्ट राजसमन्द

राज्य बनाम खरताराम वगैरा (7)

सेशन केस नं. 124 / 2025 सेशन केस

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

21.01.2026

विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण खरताराम, पूनाराम, प्रताप, कनाराम, लखमा, डूंगाराम, मिकाराम बर अनुपस्थित जरिए अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह राठौड आज की हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया गया।

गवाह संख्या 23 की साक्ष्य पी.डब्ल्यू 24 सचिन राठी के रूप में लेखबद्ध की गई।।

गवाह संख्या 25 को जरिए जमानती वारण्ट 10,000/-तलब किए जावे। चूंकि यह प्रकरण राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत लक्षित प्रकरणों में लम्बित है। तामील आवश्यक रूप से विशेष वाहक द्वारा करवाने का नोट अंकित किया जावे। तामील आज ही जारी की जावे एवं तामील हेतु अर्द्धशासकीय पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को भेजी जावें। तामील पर न्यायालय की ई-मेल आईडी अंकित की जावे एवं नोट अंकित किया जावे कि गवाह जरिए वी.सी. साक्ष्य लेखबद्ध करवाना चाहे तो नियमानुसार स्लॉट बुक करवाने हेतु आवेदन प्रेषित करें।

उक्त गवाहान की उपस्थिति बाबत अभियोजन भी अपने स्तर पर सार्थक प्रयास करे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 29.01.2026 को पेश हो।

विशिष्ट न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जन जाति (अ.वि.) प्रकरण
राजसमन्द